कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID:- nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक–2687 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 07 अप्रैल, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देहलचौरी पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी–धौलकण्डी होते हुए काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2▪125 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।** (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/41319/2019)

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/120/2020/एफ.सी./2347 दिनांक 22–02–2021।

महोदय,

प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई थी जिसका उत्तरालेख प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 1489/12–1 दिनांक 07–04–2022 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया था–

बिन्दु सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपति शर्त	अनुपालन आँख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता विभाग का सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि पर स्वामित्व माना जाएगा।
3	**क्षतिपूरक वनीकरण**	
(i)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.25 है0 सिविल भूमि ग्राम धौलकण्डी खसरा सं0 317 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाऐगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित 4.25 है0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम धौलकण्डी तहसील श्रीनगर में प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण हेतु वर्तमान दरों को सहमत करते हुए यथा संशोधित आवश्यक धनराशि रु0 14,33,032.00 (चौदह लाख तैंतीस हजार बत्तीस) मात्र UTR No. 037122021092226751 9 दिनांक 22–09–2021 से जमा किया गया है चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
(ii)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रुपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर वानिकी भूमि को जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक 1022/08–भू0अध्य0लि0–भूमि हस्ता0/2021 दिनांक 30–07–2021 से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण, नामान्तरण करा दिया गया है। **(संलग्नक–2)** guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न

	में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था वचनबद्ध है।
(iii)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भीं अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा जमा करवा दी गई है। (संलग्नक–1 के अनुसार)
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30–10–2002, 01–08–2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09. 2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.125 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30–10–2002, 01–08–2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.125 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अमिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को जमा किये जाने हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं 06 ट्री से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव

	सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	के अनुसार 06 होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे एवं उनके द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7	The DFO will revise the NPV sheet as dense forest rate quoted for 0.2 density area which name s for open forest	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एन.पी.वी. की दरों के निर्धारण हेतु संशोधित मांग पत्र जारी किया गया है। **(संलग्नक–5)**
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा सभी निधियां पोर्टल पर ऑलाईन जेनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में एन.पी.वी. व अन्य वांछित धनराशि प्रतिपर्ति वृक्षारोण्प निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ्ज निकाय खाता संख्या में कुल रु0 45,72,739.00 (पैंतालीस लाख बहत्तर हजार सात सौ उन्तालीस) वन विभाग के पाक्ष में जमा किया गया है।
9	गाईड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशानुसार के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित आदेश की प्रति इस कायर्ज्ञलय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि गाईडलाईन में दिये गये दिशा निर्देशानुसार ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जाएगा एवं आदेश की प्रति भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।
10	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। **(संलग्नक–6)**
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों ओर उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों ओर उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाने हेतु सहमत हैं।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15	वन भूमि एवं आस–पास कोई भी श्रमिक	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा

	शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि मजदूरों को राज्यीय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
17	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, यदि यह वन विभाग द्वारा किया जाएगा तो इस कार्य हेतु उचित धनराशि वन विभाग को प्रदान की जाएगी।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर या कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर या कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही हेतु कार्यदायी संस्था सहमत है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व निर्दिष्ट स्थालों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्रयोक्ता अभिरकण द्वारा अवगत कराया गया है कि वे पूर्व निर्दिष्ट स्थानों पर ही मलबा निस्तारण करेगा। सम्बन्धित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता

	परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। निस्तारण स्थालों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	अभिकरण वचनबद्ध है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हें तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्रयोक्ता अभिरकण द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हें तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल https://parivesh-nic/in पर अपलोड की जाएगी।	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल https://parivesh-nic/in पर अपलोड की जाएगी।

उक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से पूर्व प्राप्त अनुपालन ऑख्या में कतिपय बिन्दुओं पर कमियों के दृष्टिगत ई.डी.एस. आपत्ति निर्गत की गई थी, जिसका उत्तरालेख भी प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 480/12–1 दिनांक 05–09–2024 से ऑफलाईन माध्यम से प्रेषित किया गया है जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार प्रेषित अनुपालन ऑख्या एवं ई.डी.एस. के उत्तरालेख के आधार पर उक्त प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नक –उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2687 /12–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पोड़ी।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।।
Phone & Fax 01368222303, E-Mail dfosspauri@yahoo.com, dfocsgarh-forest-uk@nic.in

पत्रांक :– 1814 / 12–1 ,पौड़ी, दिनांक, 22 अप्रैल, 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देहलचौंरी पौड़ी मोटर मार्ग से चामापानी धौलकण्डी होते हुए काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि प्रकरण को परिवेश पोर्टल पर अध्ययन करने पर पाया गया है कि कम्पलाईंस अप्रूवल हेतु प्रभाग स्तर पर लम्बित दिखा रहा है जबकि दिनांक 07–04–2025 को परिवेश पोर्टल का अध्ययन किया गया, जिसमें कि पोर्टल पर अप्रूवल हेतु प्रभाग स्तर से किसी भी प्रकार का विकल्प उपलब्ध नही है। जिसकी सूचना ई–मेल इस कार्यालय के पत्र संख्या–1581 / 12–1 दिनांक 05–12–2024 एवं पत्र संख्या–1658 / 12– दिनांक 07–04–2025 द्वारा पूर्व में भी आपको प्रेषित की गयी थी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की कम्पलाईंस रिपोर्ट अपने स्तर से ऑन लाईन कर भारत सरकार पर्यावरण जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय को भेजने की कृपा करें, ताकि उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

भवदीय,

(पवन नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी

पत्रांक :– 1814 / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(पवन नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी

letter land transfer